तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13-4-22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वास्ते बहस समय चाहा गया वास्ते बहस पत्रावली 20-4-22 को पेश हो।
20-4-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 8-6-22 को पेश हों।
8-6-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22-6-22 को पेश हों।
22-6-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने वाद-पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली निर्णित की जाती है, वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है संक्षेप में निर्णय इस प्रकार है अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर.टी.ए. के तहत वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ख.स. 2,46, 330, 333, 337, 339 कुल खसरा किता- 5 योग रकबा 3.38 हैक्टर वाके ग्राम बड़गांव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि वादी की खातेदारी कृषि भूमि है। तथा कब्जे काश्त चली आ रही थी वादी लगभग दो वर्ष पूर्व खाने कमाने

उपखण्ड अधिकारी, ... (बून्दी)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
बाहर चला गया जिसका नाजायज रूप से लाभ उठाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 वादी की खातेदारी कृषि भूमि ख.स. 333 रकबा 2.03 हैक्टर में से 7 बीघा कृषि भूमि उत्तरी दिशा की ओर जबरन कब्जा कर लिया वादी को पता चलने पर वादी ने प्रतिवादीगण से कृषि भूमि को छोडने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने भूमि छोडने से इन्कार कर दिया गया तथा धमकी दी गई कि हम समस्त भूमि पर कब्जा करेंगे। यही वाद कारण है और अन्त मे निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को पाबन्द करते हुए वादी की खातेदारी कृषि से बेदखल कर उक्त भूमि वादी को दिलवाई जावे। वादी का वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया दिनांक 30-10-2019 को प्रतिवादीगण बावजूद तामील सम्मन हाजिर न्यायालय नही आये जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 खसरा गिरदावरी सम्वत 2070 से 2073, नक्शा ट्रेस पेश की है तथा मौखिक साक्ष्य मे स्वयं का साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर वादी की अतिक्रमित कृषि भूमि 7 बीघा से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कृषि भूमि वादी को सम्भलाई जावे। हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस पर मनन किया गया एवं	

[signature] ... तहसीलदार ... (बून्दी)

(3)

लक्ष्मीनारायण बनाम रामसिंह वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी कृषि भूमि है खातेदारी कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने का हक अधिकार कानूनन निषेध होने से एवं प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डनात्मक जवाब पेश नहीं किये जाने से वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।
	अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेश दिया जाता है कि विवादी आराजी ख.स. 296, 330, 333, 337, 339 किता 5 योग रकबा 3.38 हैक्टेयर कृषि भूमि वाके ग्राम बड़गांव तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाते हुए प्रतिवादीगण द्वारा ख.नं. 333 रकबा 2.03 हैक्टर में से 7 बीघा पर किये गये कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल कर भूमि वादी को सम्भलाई जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को अर्थ स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के खातेदारी कृषि भूमि के किसी हिस्से पर जबरन कब्जा नहीं करे काश्त करने, फसल बोने, काटने में कोई अवरोध पैदा नहीं करे न तो स्वयं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे।
	तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।
	पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	निर्णय आज दिनांक 22-6-2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बूंदी)

अन्तिम डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

निज अदालत उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम [illegible]

व इजलास श्री सुशान्त शर्मा R.A.S.

लक्ष्मीनारायण आ. भूरा जाति बैरवा निवासी ग्राम बड़गांव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी — वादी —

बनाम 1 रामसिंह आ. प्रहलाद जाति बैरवा वगैरह निवासी बड़गांव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

P.T.O.

दावा बाबत 183, 188 R.T.A.

मुकदमा नम्बर 26/दावा/17 .... सन ....

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे .... व हाजिरी श्री हेमन्त शर्मा एड. .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू ....

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी ख.सं. 246, 330, 333, 337, 339 कुल रकबा 3.38 हैक्टर वाके ग्राम बड़गांव तहसील इन्द्रगढ़ मे स्थित कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाते हुए प्रतिवादीगण द्वारा ख.न. 333 रकबा 2.03 हैक्टर मे से 7 बीघा पर किये गये कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल कर भूमि वादी को सम्भलाई जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के खातेदारी कृषि भूमि के किसी हिस्से पर जबरन कब्जा नही करे कास्त करने फसल बोने काटने में किसी प्रकार निज का अवरोध — मुबलिग उत्पन्न नही करे / बाबत .... खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरंह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22-6-2022 माह .... सन .... को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीज़ान			मीज़ान		

नोट :- [illegible] डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बूंदी)